संख्या– 27/12/2010–एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 5/8/ , 2010

- 5 AUG 2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

1183/10/SRS 6/8

1184/10/SRS 6/8

विषय: श्री इन्द्रजीत सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिसौना, ऊधम सिंह नगर के अभ्यावेदन पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में विचार

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में इन्द्रजीत सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिसौना, ऊधम सिंह नगर के अभ्यावेदन पर विचार किया गया । राज्य चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट में एवं समिति की बैठक में उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञ ने श्री इन्द्रजीत सिंह को विकलांगता से ग्रस्त पाया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।

समिति द्वारा इस मामले में जो संस्तुतियॉं की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा मान लिया गया है । श्री इन्द्रजीत सिंह, सहायक अध्यापक के उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:–

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

1185/SRS/10 6/8/10

1186/SRS/10 6/8/10

- 5 AUG 2010
ISSUED